निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 68 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खंड, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खंड, नई टिहरी के माह अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामबीर संह, श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी तथा श्री हरी ओम, व॰ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2018 से 16 जनवरी 2018 तक श्री एस.के.त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में 08 जनवरी 2018 से 16 जनवरी 2018 तक सम्पादित कया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस खण्ड की वगत लेखापरीक्षा सर्वश्री अनिल कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी (25.04.2016 से 29.04.2016), श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 22/04/2016 से 29/04/2016 तक में सम्पन्न हुयी थी जिसमें खण्ड के माह 08/2013 से 03/2016 तक के लेखा भलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 12/2017 तक के लेखा भलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

(ii) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः भलंगना, प्रतापनगर,थोलधार एवं जखनीधार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली नहरों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य ।

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ ध क्य (+)`	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	514.75	428.09	419.67	419.66	-	स्थापना-86.66 गैरस्थापना-.01
2015-16	-	-	433.88	426.46	1852.6	1645.0	-	स्थापना-7.42 गैरस्थापना-

					0	1		207.59
2016-17	-	-	476.67	452.77	777.03	776.71	-	स्थापना-23.90 गैरस्थापना-0.32
2017-18 (**12/2017** तक)	-	-	524.17	443.48	375.15	353.68	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	आ धक्य	बचत
2014-15	-	-	-	-	-	-
2015-16	**AIBP**	-	30.00	30.00	-	-
2016-17	-	-	-	-	-	-
2016-17 (**12/2017** तक)	-	-	-	-	-	-

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है।

स चव संचाई वभाग, उत्तराखंड

⇩

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

⇩

मुख्य अ भयन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखंड, हरिद्वार

⇩

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी

⇩

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, नई टिहरी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, नई टिहरी के माह अप्रैल 2016 से दिसम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह दिसम्बर 2016 एवं मार्च 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया तथा जनपद टिहरी गढ़वाल के भलंगना वकास खंड के अंतर्गत वासर मे थाती कठूत क्षेत्र मे 25 क॰मी॰ फील्ड गूलों का नव निर्माण कार्य योजना का चयन वस्तृत वश्लेषण हेतु कया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उस पर लेखापरीक्षा अव ध तक कए गए व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में कोई भी निरीक्षण नही कया गया है ।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की लेखाबन्दी 09/2015 तक तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवा र्षक/वा र्षक लेखाबन्दी सतम्बर 2017 तक की गई।
3. फार्म 51: माह दिसम्बर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` 2171801.00

   भाग द् वतीय ` 86635.00

4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह दिसम्बर 2017 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	` 360823.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	` 4950.00
(घ)	निक्षेप	` 9529705.00
(ङ)	भण्डार	DCL- ` 617769.00
		CCL-` 2666975.92

भाग 2 ब

प्रस्तर 1- वकास खंड भलंगना कठुड क्षेत्र मे 25.00 कमी फील्ड गुलों के नव निर्माण मे रु 293.73 लाख धनरा श अनिय मत व्यय ।

वत्तीय हस्त पुस्तिका खंड vi के नियम 378 के अनुसार कसी भू म मे निर्माण तब तक नहीं कया जा सकता जब तक सक्षम स वल अ धकारी निर्माण करने की सहमति प्रदान न करें ।

अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार 42(1) कार्यो के समूह को,जो एक परियोजना के ही भाग हैं, एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग–अलग टुकड़े न किये जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े।

अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार 3(1) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

(2) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियां निविदा के माध्यम से की जाएंगी।
(3) जब तक नियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से प्रतिबन्धित न किया गया हो, सभी भागीदारों को बोलियां लगाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।
(4) अधिप्राप्तकर्ता संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि विशिष्टताएं स्पष्ट रूप से सूचित की जानी चाहिएं जिससे अतिरिक्त और अनावश्यक लक्षणों को शामिल किए बगैर इस प्रकार तैयार की गई विशिष्टताओं द्वारा संगठन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिससे अवांछित व्यय न हो और भण्डारण लागत (इन्वेन्टरी कैरिईगं कॉस्ट) में अनावश्यक वृद्धि न हो।
(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चयनित मद सभी आवश्यकताओं की सभी प्रकार से पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है।
(6) सभी शर्तें समान होने पर सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकार की जाये अन्यथा उन कारणों को सर्वथा अभिलिखित किया जाये जिनके कारण न्यूनतम दर वाली निविदा अस्वीकृत की गई है।
(7) सक्षम प्राधिकारी को अपना यह समाधान करना होगा कि प्रस्तावित दरें युक्तियुक्त हैं और गुणवत्ता के अनुरूप हैं।
(8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिप्राप्ति के अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये और जिस आधार पर अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है उसे अभिलिखित किया जाए।

(9) परक्रामण(निगोशिएशन) से बचा जाए और विशिष्ट परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोली लगाने वाले (एल–1) से ही समझौते की वार्ता की जा सकेगी तथा ऐसे परक्रामण के कारण स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएं।
(10) निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

शासनादेश संख्या 1987/ 11-2015-04 (02)/2011 दिनांक 24 जुलाई 2015 के द्वारा वकास खंड भलंगना के कठुड क्षेत्र मे 25.00 कमी फील्ड गुलों के नव निर्माण हेतु रु 477.75 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक

स्वीकृति निम्न ल खत शर्तो / प्रतिबंधो के साथ प्रदान की गयी थी तथा रु 477.75 लाख धनरा श एकमुश्त अवमुक्त की गयी थी ।

(1) स्वीकृत रा श का उपयो गता प्रमाणपत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमा सक वत्तीय एवं भौतिक प्रगति वत्त वभाग एवं नाबार्ड को भी उपलब्ध करायी जाए ।

(2) धनरा श का उपयोग नाबार्ड के गाइड लाइंस के अनुसार कया जाना था ।

(3) निर्माण कार्यो मे भूकंप वरोधी तकनीक का उपयोग कया जाना था ।

(4) भूगर्भ वैज्ञानिक से आवश्यक सहमति प्राप्त की जानी थी ।

(5) स्वीकृत रा श के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित करना था की योजना नाबार्ड से स्वीकृत होनी चाहिए। बिना नाबार्ड की स्वीकृत के रा श व्यय नहीं की जानी चाहिए थी यदि की जाएगी तो उसकी ज़िम्मेदारी वभागाध्क्ष की थी ।

(6) गुणवत्ता एवं समयबद्दता के लए अ धशासी अ भयंता ही उत्तरदायी है ।

इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लए निम्न ल खत 122 अनुबंध/कार्यादेश जारी कए गए थे (सभी साहयक अ भयंता के द्वारा) गठित कए गए थे (सूची संलग्न) । इनके सापेक्ष धनरा श रु 265.86 लाख व्यय कया गया था शेष धनरा श रा श आकस्मिक व्यय से संबन्धित है कुल व्यय रु 293.72 लाख धनरा श व्यय की गयी थी तथा गुलों का भौतिक रूप से निर्माण 18.65 कमी कया गया था । योजना नव निर्माण गुलों/नहरों से संबन्धित है, नाबार्ड द्वारा वत्त पो षत है । नाबार्ड से राज्य सरकार ने धनरा श अ ग्रम/ऋण के रूप मे प्राप्त की है इस रा श से उपरोक्त जो निर्माण हुये है धनरा श रु 293.72 लाख व्यय की गयी है यह परिसंप त्त सचाई वभाग की होनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा मे पाया गया है क लेखापरीक्षा ति थ माह 1/2018 तक निर्माण कार्य अपूर्ण थे । इन सभी गुलों का निर्माण बिना भू म अ धग्रहण के कया गया था । कार्यो को 122 टुकड़ो मे बाटा गया था , प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने के लए एक कार्य मानकर नि वदा आमंत्रित नहीं की गयी थी ।

इन सभी अनिय मतताओ के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर मे बताया क- (1) प्राक्कलन मे भू म अ धग्रहण का प्रावधान नहीं था कसानो के अनुरोध पर खंड द्वारा कच्ची गुलों को पक्का कया गया ता क कसानो को सींच का उद्देश्य पूर्ण हो सके इस लए बिना भू म अ धग्रहण के गुलों का निर्माण कया गया था । (2) स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं कई बार स्थानीय कसानो द्वारा कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के कारण स्थानीय ठेकेदार से निर्माण कार्य को अनेक टुकड़ो मे वभाजित करके कार्य कराया जाता है ता क योजना को समय से पूर्ण कया जा सके, । गुलों का निर्माण जनहित मे कया जाता है नहर के कमांड मे बनाई गयी गुले वभाग की परिसंप त्त है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यो क निर्माण कार्य की रा श नाबार्ड से राज्य सरकार ने धनरा श अ ग्रम/ऋण के रूप मे प्राप्त की है इस रा श से उपरोक्त जो निर्माण हुये है रु 293.72 लाख धनरा श व्यय की गयी है यह परिसंप त्त सचाई वभाग की होनी चाहिए थी परंतु भू म अ धग्रहण/ सक्षम स वल अ धकारी की बिना अनुमति के निर्माणों के कारण अपनी संप त्त नहीं कहा जा सकता है, कया गया निर्माण नियमो के

वरुद्ध है और कार्यो को 122 टुकड़ो मे बाटा गया था , प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने के लए एक कार्य मानकर नि वदा आमंत्रित नहीं की गयी थी, जो क उपरोक्त अ धप्राप्ति नियमो के वरुद्ध है ।

अत: रु 293.72 लाख धनरा श उपरोक्त नियमो के पालन कए बिना ही अनिय मत रूप से व्यय क गयी है । प्रकरण उत्तराखंड शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः2- नहरों से सींच लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड-1, नई टिहरी के सींच एवं नहरों से संबं धत अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क खण्ड के अन्तर्गत परिचा लत 50 नहरे जिनका CCA 1368 था। उनके द्वारा वगत 03 वर्षों (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17) तक अ धकतम 383 हैक्टेयर एवं न्यूनतम 271 हैक्टेयर सींच ही उपलब्ध कराई जा रही थी जो क प्रस्ता वत सींच का 28 प्रतिशत एवं 19.8 प्रतिशत है (ववरण संलग्न है), तथा उक्त नहरों की मरम्मत पर वगत तीन वर्षों मे रु॰ 57.16 लाख व्यय करने के उपरांत भी कुल सीसीए मे से लगभग 985 हेक्टेयर भू म वर्तमान मे भी अ स चत थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्ता वत सींच के सापेक्ष 19.8 प्रतिशत से 28 प्रतिशत सींच उपलब्ध कराने एवं 985 हेक्टेयर भू म अ सं चत रहने के प्रश्न पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क पहाड़ी क्षेत्र होने, जगली जानवरो द्वारा फसल को नुकसान पहुचाने, कसानो द्वारा पलायन एवं स्रोतो की कमी होने के कारण कम सींच प्राप्त हो रही है तथा अ धकतम सींच प्राप्त करने के प्रयास कये जा रहे है।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्यों क वगत तीन वर्षों से लगातार उक्त नहरों से कम सीच प्राप्त हो रही है जब क खण्ड द्वारा इस अव ध में उक्त 50 नहरों पर ` 57.16 लाख की धनरा श भी व्यय की है।

अतः खण्ड द्वारा नहरों के प्रस्ता वत सींच लक्ष्यों को प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-3 नाबार्ड पो षत नमूना जा चत कार्य में वत्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कये बिना कार्य कया जाना एवं ` 260.56 लाख का कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित कया जाना ।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्युरमेंट) नियमावली, 2008 **के बिन्दु संख्या** 42(1) **के अनुसार** कार्यो के समूह को,जो एक परियोजना के ही भाग है एक कार्य मानते हुए ही सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मात्र एक कार्य के लिये ली जाय। मात्र इसलिए कार्य के अलग–अलग टुकड़े न किये जायें कि उच्च स्तर से आवश्यक अनुमति न लेना पड़े।

अधिप्राप्ति नियमावली **के अनुसार** निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा।

नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद टिहरी के वकास खण्ड भीलंगना में 20 पर्वतीय नहरों (21.600 कमी.) के सुदृढ़ीकरण एवं पुनरोदार की योजना की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति दिनांक 02 मार्च 2016 को प्रदान की गयी थी, जिसके लए 260.56 लाख की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (गढ़वाल) द्वारा दिनांक 29 मार्च 2016 को प्रदान की गयी थी।

संचाई खंड, नई टिहरी के अ भलखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया क उपरोक्त कार्य हेतु खण्ड द्वारा माह 03/2016 से 01/2017 के मध्य सहायक अ भयंता स्तर से कुल 47 अनुबंध गठित कए गए थे, जिनकी कुल लागत ` 109.03 लाख थी, जिनके सापेक्ष वभाग द्वारा कुल ` 115.51 लाख का भुगतान कया गया था जब क कार्य हेतु कुल स्वीकृति ` 260.56 लाख मे से दिसम्बर 2017 तक (Schedule of works expenditure Form- 64 के अनुसार) ` 174.39 लाख व्यय कया जा चुका था।। नियमानुसार उपरोक्त कार्य **e-tendering** के माध्यम से नि वदा आमंत्रित कर अधीक्षण अ भयंता स्तर से अनुबंध गठित कर, कया जाना चाहिए था।

आगे यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा निर्माण कार्य मे प्रयोग की गयी सामग्री के नमूनो की जांच भी प्रयोगशाला मे नही कराई गयी तथा कार्य हेतु नि वदा आमंत्रण एवं न्यूनतम दर वाली नि वदा स्वीकार कए जाने सम्बन्धी अ भलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गयी ।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्ड द्वारा माना गया क स्थानीय ठेकेदारों को प्राथ मकता देने हेतु सहायक अ भयंता स्तर से छोटे छोटे अनुबंध कए गए तथा यह भी माना गया क खण्ड द्वारा निर्माण कार्य मे प्रयोग की गयी सामग्री के नमूनो की जांच भी प्रयोगशाला मे नही कराई गयी तथा यह भी अवगत कराया गया क 47 अनुबंध के अतिरिक्त अन्य कार्य वर्क आर्डर से कराये है।

खण्ड के उत्तर से ही स्पष्ट हो जाता है क खण्ड द्वारा वत्तीय नियमों की अनदेखी कर कार्य टुकड़ों में बाँट कर कराया गया था,जब क एक करोड़ से अ धक का कार्य होने के कारण अधीक्षण अ भयंता स्तर से **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित कया जाना चाहिए था। खण्ड में **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित कए जाने की परंपरा थी। साथ ही अ धप्राप्ति नियमावली के अनुसार छोटे-छोटे भागों में कार्य तभी वभाजित कया जा सकता है यदि कार्य का त्वरित सम्पादन कया जाना हो कन्तु उपरोक्त कार्य अभी भी अपूर्ण था।

अत: नाबार्ड पो षत कार्य में वत्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कये बिना कार्य कया जाना एवं ` 260.56 लाख का कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित कए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 4- धनरा श 160.17 लाख व्यय उपरान्त जनपद टिहरी गढ़वाल के भलगना एवं जाखणीधार वकास खण्ड में 13.80 कमी. नई नहरों के निर्माण की योजना का अपूर्ण एवं लक्ष्य वहीन रहना।

शासनादेश सं. 4264/11-2011-04(04)/2011 दि./ फरवरी 2012 द्वारा ए.आई.बी.पी. (Accelerated Irrigation Benefit Programme) के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के भलगना एवं जाखवीधार वकास खण्ड में 13.80 कमी नई नहरों के निर्माण संबंधी योजना की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। योजना की कुल लागत 190.72 लाख थी। योजनान्तर्गत 12 पर्वतीय नहरों का निर्माण कर प्रतिवर्ष 62 हैक्टेयर सींच का सृजन कया जाना था व कृषकों को बेहतर संचन सु वधा उपलब्ध कराया जाना था। योजना प्रस्ताव के अनुसार योजना व्यय का 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन कया जाना था तथा योजना को वर्ष 2012-13 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव था। मुख्य अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष (बजट अनुभाग) संचाई वभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप सं. 336 दिनांक 2 फरवरी 2012 के बिन्दु 8 में भी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की समस्त धनरा श का समय से उपयोग कर उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को समय से प्रे षत करने के निर्देश दिये गये थे ता क शेष केन्द्रांश शीघ्र अवमुक्त हो सकें।

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, नई टिहरी के अ भलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया क योजना निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में 20.00 लाख व वर्ष 2012-13 में 177.72 लाख की रा श संचाई खण्ड को उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें से क्रमशः 7.00 लाख व 100.55 लाख की रा श खण्ड द्वारा सम र्पत की गयी थी। खण्ड द्वारा दिसम्बर 2017 तक योजना पर 160.17 लाख व्यय कर 10.53 कमी. नहरों का निर्माण कया गया था एवं धनरा श 20.55 लाख की देनदारी शेष थी। दिसम्बर 2017 तक नि र्मत नहरों की सींच क्षमता 143 हैक्टेयर थी। वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 (दिसम्बर तक) में स्थानीय कृषकों द्वारा नि र्मत नहरों द्वारा कुल 24 हैक्टेयर सींच की गयी थी जो योजना लक्ष्य से काफी कम थी। वर्तमान में धन अभाव के कारण वर्ष 2014-15 से नहरों का निर्माण कार्य बन्द था। इस प्रकार, योजना पूर्ण करने की प्रस्ता वत अव ध वर्ष 2012-13 के पांच वर्ष उपरान्त भी योजना को पूर्ण नहीं कया जा सका, न ही सींच लक्ष्यों को प्राप्त कया जा सका।

शासन द्वारा धन उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में इं गत कये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क ए.आई.बी.पी. योजना को भारत सरकार द्वारा पी.एम.के.एस.वाई. योजना में स्थानान्तरण करने के कारण धनरा श प्राप्त होने में वलम्ब हुआ।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क वर्ष 2012-13 तक शासन द्वारा खण्ड को योजना लागत की पूर्ण रा श उपलब्ध करा दी गयी थी जिसे खण्ड पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 5- धनरा श 14.37 लाख का अना धकृत व्यय।

वत्तीय अ धकारों का प्रतिनिधायन, 2010 के अनुसार, स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक व्यया धक्य की स्वीकृति अ धशासी अ भयन्ता, 5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक, अधीक्षण अ भयन्ता 7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक, मुख्य अ भयन्ता तथा 15 प्रतिशत से अ धक की स्वीकृति प्रशासकीय वभाग द्वारा स्वीकृत की जा सकती है कन्तु व्यया धक्य के समायोजन हेतु बजट प्रावधान में बचत उपलब्ध होनी चाहिए।

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, नई टिहरी के अ भलेंखों की जांच के दौरान ज्ञात हुआ क अधो ल खत कार्यों पर खण्ड द्वारा स्वीकृत रा श से अ धक व्यय कया गया था।

क्रमांक	कार्य का नाम/ववरण	कार्य की आग णत लागत	दिसम्बर 2017 तक कार्य पर कया गया व्यय	व्यय की आ धक्य रा श	आ धक्य का प्रतिशत
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	सुनार गांव नहर-I का पुनरोद्धार	12.18	15.33	3.15	25.86%
2.	कोठियाड़ा फीटर गूल का पुनरोद्धार	14.71	19.09	4.38	29.77%
3.	थार्ती नहर का निर्माण	17.58	24.42	6.84	38.90%
	योग			**14.37**	

इस प्रकार, उपरोक्त तीनों कार्यों पर खण्ड द्वारा स्वीकृत लागत से 14.37 लाख का अ धक व्यय कया गया था जिसकी स्वीकृति संचाई खण्ड के पास उपलब्ध नहीं थी।

इं गत कये जाने पर संचाई खण्ड द्वारा अवगत कराया गया था क उक्त कार्य अलग - अलग योजनाओं के अंश थे, कसी भी योजना पर स्वीकृत धनरा श से अ धक व्यय नहीं कया गया था।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्यों क अलग - अलग कार्यों के आगणन अलग - अलग तैयार कये गये थे।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग 2 ब</u>

प्रस्तर 6- उद्देश्यहीन नहरों के निर्माण पर निष्फल व्यय रु 18.13 लाख

अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 3 (13) के अनुसार वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगाः–

(एक) अधिप्राप्तिकर्ता प्राधिकारी का मुख्य कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि खर्च की जाने वाली धनराशि का सरकार को समुचित प्रतिलाभ मिले,
(दो) व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए,
(तीन) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार सामान्यतः एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है, और
(चार) कोई भी प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निजी लाभ मिले।

निम्न ल खत गुलों/ नहरों का निर्माण निम्न ववरण के अनुसार संबन्धित वर्षो मे कया गया परंतु नहरों के निर्माण मे रु 18.13 लाख व्यय के पश्चात भी सचाई का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था अर्थात निर्माण के समय से ही निम्न उद्देश्यहीन नहरों का ववरण निम्न है ।

क्रम संख्या	नहर /गूल का नाम	लंबाई कमी मे ।	निर्माण वर्ष	लागत रु मे	नहर के हेड पर श्रोत सूखने का वर्ष/सीच न होने का अन्य कारण	नहर के द्वारा अंतिम सींच कब तक हुई ति थ	नहर पूर्ण रूप से कब से बंद है ति थ	सचाई का लक्ष्य सं चत क्षेत्र है0 मे
1	मंमगाई, भलंगना	1.00	2005-2006	7.72 लाख	2005-2006	शून्य	2005-2006	12
2	बरखली,प्रतापनगर	0.550	2010-2011	6.17 लाख	सं चत क्षेत्र समतल नहीं था	शून्य	2010-2011	02
3	भुजाड़ी दायी, जाखनीधार	1.800	2003-2004	4.24 लाख	सं चत क्षेत्र टिहरी बांध परियोजना मे डूब गया है	2009-10	2009-10	18
		3.35		18.13 लाख				32

3.35 कमी. गुलों के निर्माण से 32 है0 सं चत क्षेत्र को लाभ मलना था । क्रम संख्या 1 नहर मे श्रोत सूखने के कारण सींच नहर निर्माण के बाद से कभी भी सींच नहीं हुई है, क्रम संख्या 2 नहर निर्माण के समय से ही कभी भी सींच नहीं हुई सं चत क्षेत्र समतल नहीं था, क्रम संख्या 3 नहर सं चत क्षेत्र टिहरी बांध डूब क्षेत्र मे था इन सभी बिन्दुओ पर नहर निर्माण करने से पहले वचार नहीं कया गया था ।

इस संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर मे बताया क- नहरों के निर्माण के समय पानी उपलब्ध था परंतु निर्माण के पश्चात श्रोत सूख गया था एवं कुछ सं चत क्षेत्र समतल नहीं था, एक नहर का सं चत क्षेत्र टिहरी बांध के डूब क्षेत्र मे था जिससे क लोग वहाँ से पलायन कर गए है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यो क दो नहरों के निर्माण के दिन से ही लेखापरीक्षा ति थ तक कभी सींच दर्ज नहीं हुई थी ,एवं एक नहर का सं चत क्षेत्र डूब क्षेत्र मे था। इस आशय पर निर्माण से पहले वचार कया जाना चाहिए था । अर्थात उपरोक्त नियम के वरुद्ध वभागीय श थलता के कारण रु 18.13 लाख का निष्फल व्यय हुआ था ।

अत: रु 18.13 लाख निष्फल व्यय का प्रकरण का उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर **1-** व वध अ ग्रम रु **3,60,823.00** लंबित वसूली की कार्यवाही न कया जाना ।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार व वध अ ग्रम को निम्न चार श्रे णयों मे वभाजित कया गया है (1) उधार वक्रय (2) डपॉजिट मद मे प्राप्त रा श से अ धक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे , कसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अ धकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य वभागो के वरुद्ध व वध अ ग्रम डाला जाता है एवं वत्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे व वध अ ग्रम की धनरा श की वास्त वक वसूली की जानी चाहिए या कसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अ धकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक व वध अ ग्रम लेखे से न हटाया जाए ।

कार्यालय के लेखा अ भलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया क मा सक लेखा माह 12/2017 एवं संलग्न ववरण के अनुसार वर्ष 1979 से वर्तमान तक की अव ध मे अ धकारियों / कर्मचारियों /फर्मों/ ठेकेदारों के वरुद्ध व वध अ ग्रम की धनरा श रु 3,60,823.00 वसूली हेतु लंबित है अ धकांश धनरा श लम्बी अव ध से संबन्धित है, परंतु वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया क समायोजन हेतु पत्राचार कए जा रहे है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्यो क अ धकांश धनरा श लम्बी अव ध से वसूली हेतु लंबित है लेखापरीक्षा ति थ तक समायोजन नहीं हुआ है ।

अत: रु 3,60,823.00 व वध अ ग्रम की धनरा श वसूली नहीं कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

प्रस्तर **2** - स्टाक के अवशेष सामग्री रु 11.94 लाख के समायोजन नहीं करने के सम्बंध मे ।

वत्तीय हस्त पुस्तिका खंड -6 के नियम 188 के अनुसार जब स्टाक मे सामग्री अ धशेष के रूप मे अवशेष रह जाए तो अन्य खंडो / वभागो को उपयोग करने के लए हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए ओर यह कार्यवाही 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए लेखा परीक्षा मे पाया गया क स्टाक पंजिका वर्ष 2017-18 मे एवं मा सक लेखा माह 12/2017 मे स्टाक अवशेष के रूप मे डपॉजिट स्टाक रु 11,94,043.00 की सामग्री लंबे समय से पड़ी है ,खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है , यह धनरा श/सामग्री कन कारणो से अवशेष है, सामग्री का उपयोग दूसरे खंडो मे हो सके इसके लए लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर कार्यालय ने अपने उत्तर मे स्वीकार करते हुए बताया क- कसी अन्य खंड मे सामग्री को उपयोग कया जा सके इस संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । अत: रु 11.94 लाख की अ धशेष स्टॉक सामग्री का समायोजन नहीं कए जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्र0सं0	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित कण्डिकाएं	
		भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'
1.	78/89-90		1,2,3
2.	165/91-92		1,2,3,4
3.	140/92-93		1,2
4.	35/95-96		1,2,3,4
5.	04/96-97		1,2
6.	207/97-98		1,2,3,4
7.	147/98-99		1,2,3
8.	11/99-2000	1,2,3	-
9.	92/04-05	1,2	-
10.	48/07-08	1	-
11.	11/10-11	1	1,2,3
12.	29/13-14	-	1
13.	01/2016-17	-	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	खंड मे अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या शून्य है।			

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, संचाई वभाग, नई टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) MB No. 428,442,469,483,158,497(T)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्री शरद श्रीवास्तव	अ धशासी अ भयन्ता	वगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री आर.बी.एस. राणा
2. श्री माता प्रसाद

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, संचाई वभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II